<u>न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 77 / 2026
(डगमारा थाना कांड सं0–60 / 2025)

दिनांकः– 07 / 05 / 2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदक **मो0 तोहीद** की ओर से दाखिल किया गया है, जो डगमारा थाना कांड सं0–60 / 2025 अन्तर्गत धारा– 85 / 126(2) / 115(2) / 303(2) / 352 / 351(2)(3) / 3(5) बी0एन0एस0 एवं धारा–3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी प्रसाद साहू एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पांडेय को सुना।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त आवेदक के विरूद्व उपरोक्त धाराओं का आरोप है। चूँकि अभियुक्त आवेदक के विरूद्व जिन धाराओं का आरोप है, उन धाराओं में 07 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है। वाद दैनिकी के कंडिका 33 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, का पर्यवेक्षण टिप्पणी है, जिसमें अनुसंधानकर्त्ता को धारा 35(ग), बी0एन0एस0 के अंतर्गत करवाई करने का निर्देश दिया गया है।

फलस्वरूप अभियुक्त आवेदक को निर्देश दिया जाता है, कि वे अनुसंधानकर्त्ता के समक्ष उपस्थित होकर धारा 35(ग), बी0एन0एस0 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अतः अभियुक्त आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन निस्तारित किया जाता है।

लेखापित
–हस्ता0–
(अनंत सिंह)
प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल